बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या:- 6455726 / पटना, दिनांक :- 29/10/2026

ग्रा0वि0- R-503/35/2025-SECTION 14-RDD-RDD

श्री रत्नेश रवि, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-276768), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, गड़खा (सारण) सम्प्रति-प्रखंड विकास पदाधिकारी, भगवानपुर (वैशाली) के विरूद्ध वाजितपुर पैक्स, प्रखंड-गड़खा के निर्वाचन हेतु मतदाता सूची प्रकाशन के दौरान दिनांक-25.10.2024 को निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में दावे/आपत्तियों के निष्पादन के पश्चात चार नामों के अनुपूरक सूची जारी की गई, जिसमें क्रमांक-2335 पर वर्तमान प्रविष्टि श्रीमती संतोषी देवी, पति-अखिलेश शर्मा, पता-केवानी को शुद्ध करते हुए श्री उमाशंकर सिंह, पिता-श्री अवधेश प्रसाद सिंह, पता-केवानी किया गया था । किन्तु दिनांक-25.10.2024 को ही एक दूसरी अनुपूरक सूची जारी की गयी, जिसमें श्री उमाशंकर सिंह, पिता-श्री अवधेश सिंह, पता- केवानी को विलोपित करने के आरोप पर बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के पत्रांक-958 दिनांक-26.03.2025 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ ।

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना द्वारा प्रतिवेदित आरोप पर विभागीय पत्रांक-4530592 दिनांक-28.08.2025 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी । कार्यालय, प्रखंड विकास पदाधिकारी, गड़खा (सारण) के पत्रांक-1626 दिनांक-24.09.2025 के माध्यम से श्री रवि का स्पष्टीकरण विभाग में प्राप्त हुआ ।

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र एवं श्री रत्नेश रवि द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-5072766 दिनांक-16.01.2026 द्वारा जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा) से मंतव्य की मांग की गयी । जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा) के पत्रांक-1035 दिनांक-04.05.2026 द्वारा श्री रवि के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया। निदेशोपरांत जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा) द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य को विभागीय पत्रांक-5955442 दिनांक-21.07.2026 द्वारा बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को उपलब्ध कराते हुए मंतव्य की मांग की गयी। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के पत्रांक-2009 दिनांक-24.08.2026 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया ।

श्री रत्नेश रवि के विरूद्ध बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना से प्राप्त आरोप पत्र एवं उक्त आरोप पत्र के आलोक में श्री रवि द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण तथा जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा) एवं बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी । समीक्षोपरांत पाया गया श्री उमाशंकर सिंह का नाम विगत निर्वाचन की मतदाता सूची में सह-सदस्य के रूप में अंकित था। किन्तु उनके द्वारा पुनः ऑनलाईन आवेदन कर डीम्ड सदस्य के रूप में 11/- रूपये बैंक में जमा की गयी, जिसे प्रबंध समिति द्वारा निर्णय कर वापस कर दिया गया। किन्तु मानवीय भूल के कारण श्री उमाशंकर सिंह का दावा अस्वीकृत होने के बावजूद उनका नाम प्रथम अनुपूरक सूची में जारी हो गया, जिसे प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा तत्काल ठीक कर लिया गया था। जिला पदाधिकारी, सारण ने निर्वाचन पदाधिकारी, गड़खा को स्पष्टीकरण से मुक्त करने की अनुशंसा की गई है ।

अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री रत्नेश रवि, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-276768), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, गड़खा (सारण) सम्प्रति-प्रखंड विकास पदाधिकारी, भगवानपुर (वैशाली) को भविष्य में सचेष्ट रह कर कार्य करने के निदेश के साथ आरोप मुक्त किया जाता है ।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

28/10/26

(विभाकर कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:- 6455726 / पटना, दिनांक :- 29/10/2026

संचिका सं0- R-503/35/2025-SECTION 14-RDD-RDD

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में, सी०डी० सहित) बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/10/26

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:- 6455726 / पटना, दिनांक :- 29/10/2026

संचिका सं0- R-503/35/2025-SECTION 14-RDD-RDD

ईमेल/
स्पीड-पोस्ट

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, बिहार, राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना/जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा) एवं वैशाली/उप विकास आयुक्त, सारण (छपरा) एवं वैशाली/कोषागार पदाधिकारी, सारण (छपरा) एवं वैशाली/प्रभारी पदाधिकारी प्रशाखा-03, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ श्री रत्नेश रवि, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-276768), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, गड़खा (सारण) सम्प्रति-प्रखंड विकास पदाधिकारी, भगवानपुर (वैशाली)/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग (विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्श हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/10/26

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:- 6455726 / पटना, दिनांक :- 29/10/2026

संचिका सं0- R-503/35/2025-SECTION 14-RDD-RDD

प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

28/10/26

सरकार के अवर सचिव